


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय-आदेश ::—

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से पीएससी-15 में चयनोपरान्त प्राध्यापक वेतन पे मैट्रिक्स लेवल-12 के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-15(1) एफ.डी./नियम/2017 दिनांक: 09.12.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के प्रावधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किये गये निम्नांकित प्राध्यापकों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 05 (vi & vii) एवं अनुसूची 1 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं. 09 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स लेवल-12 एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की व नियमित करने की व नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या 09 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थाईकरण किया जाता है।

क्रसं	वर्ग	पुराना मेरिट क्रमांक	नया मेरिट क्रमांक	प्राध्यापक नाम मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	विषय	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	स्थाईकरण एव नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि
1	BC, WE	405	406	मनीषा, बा. सामोद (चौमू) जयपुर	भौतिक विज्ञान	07-09-91	29-06-17	29-06-19
2	GE, WE, DV, RG	619	651	दीपा खुलकोटी, भानपुरकलों (जयपुर)	भौतिक विज्ञान	16/05/1987	30-06-17	18-07-19
3	BC, WE	223	216	सुचित्रा यादव, खोराबीसल (जयपुर)	भौतिक विज्ञान	30/10/1987	06-10-17	06-10-19
4	GE, WE, RG	382	358	नेहा अग्रवाल, दनारुकला (जयपुर)	भौतिक विज्ञान	25/12/1991	28-06-17	28-06-19
5	BC, RG	175	195	मदन लाल ढाका, राज. स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर	भौतिक विज्ञान	30/06/1981	05-07-17	05-07-19
6	GE, WE	166	141	मनु. आम्बानेरी (बांदीकुई) दौसा	भौतिक विज्ञान	24/10/1986	27-06-17	27-06-19

नोट:- वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 11.06.2014 एवं 07.08.2014 की पालना में क्र.सं. 02 पर अंकित कामिक के परीवीक्षाकाल में 48 दिवस का 'अवैतनिक अवकाश' उपभोग करने के कारण नियमानुसार इनके स्थाईकरण में 18 दिन की वृद्धि होगी।


(सौरभ स्वामी)


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-3/प्रो.ट्रे/भौतिक/स्थाईकरण/2015/2018-19

दिनांक- 19.03.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संबंधित संभाग।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/ संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
4. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक।
5. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी प्रभाग।
6. सिस्टम एनेलैसिसट कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)